



**सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)**

सोसाइटी का

संख्या/8/HAR/14161/2021-2022

संख्या 1-166522

दिनांक-2011-2012

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ऊपरके संशुद्धित सोसाइटी, काय बनीस, पंज-किस, किय-दरसे, हास, 241404, को विदे-सद (सिद्धीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 2118/2011-12 दिनांक-04/11/2011) के दिनांक-04/11/2021, से-संग-सद की अर्थात् के-सिद्ध नवीनीकरण किया गया है।

1100, संपर्क की नवीनीकरण कीस संशुद्धि-सद से-संग ही-संगी है।



Digitally Signed By

(VINAY KUMAR SRIVASTAVA)

37DB1857CADDAPBF210E104D9790F08E9F56E7C4A

Date: 10/01/2022 2:52:11 PM, Location: Gurgaon

संगी-संग-संग दिनांक-10/01/2022

सोसाइटी के-सिद्धी-

संगी-संग।

10/1

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AE 522074

श्री अशोक प्रसाद सिंह निवासी बंगला नगर
आवासीय क्षेत्र
बंगला नगर
पुणे नगर ४११००२



श्री अशोक प्रसाद सिंह
बंगला नगर
पुणे नगर

ज्ञानदर्पण एजुकेशनल सोसाइटी पता-ग्राम बजेहरा पोठसिरसा जिला-हरदोई
के प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष-2021-22

क्र.सं.	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1-	श्री चन्दपाल यादव पुत्र श्री केदार सिंह यादव	मकान 424, करतानगर कालोनी, लखीमपुर खीरी	अध्यक्ष	एडवोकेट
2-	श्री रामकान्त सिंह पुत्र श्री रामखेलाचन सिंह	ग्राम बजेहरा पोठसिरसा जिला-हरदोई	उपाध्यक्ष	शिक्षक
3-	श्री शानेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व. राममनोरी सिंह	ग्राम बजेहरा पोठसिरसा जिला-हरदोई	सचिव/ प्रबन्धक	समाजसेवा
4-	श्री धर्मवीर सिंह पुत्र श्री अयोड़ी सिंह	ग्राम बजेहरा पोठसिरसा जिला-हरदोई	योगाध्यक्ष	शुवि
5-	श्री राजीव कुमार पुत्र श्री रामजीतार	ग्राम मडिया पोठमहोलिया शिवपुर जिला-हरदोई	सदस्य	शुवि
6-	श्री महेश प्रसाद पुत्र श्री बलदेव	ग्राम टण्डोरखोजा पोठगोपालक जिला-हरदोई	सदस्य	शुवि
7-	श्रीमती रामदेवी पति श्री रामवीर	ग्राम मडिया पोठमहोलिया शिवपुर, जिला-हरदोई	सदस्य	गृहणी

-सत्य प्रतिलिपि-

हस्ताक्षर

1

2

3



सत्य प्रतिलिपि

12/01/22

सहायित स्मृति पत्र

- 1-संस्था का नाम : ज्ञानवर्धन एडुकेशनल सोसाइटी
 2-संस्था का पता : ग्राम बागहरा पीपलिया जिला-इरवाड़ा
 3-संस्था का कार्यालय : सम्पूर्ण जिला
 4-संस्था की उद्देश्य -

1. बालक बालिकाओं के लिए धार्मिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक शिक्षा विभाग के मानकों के अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर संचालित करना तथा उनके पठन अधन की समुचित व्यवस्था करना।
2. पक्ष पोलियो डाय एड्स,केन्सर,टीबी,डिपेटाइसिस,शुमेह, मलानुक्ति, कुष्ठ रोग मलेरिया एवं जानलेवा रोगों की पहचान/जांच कर उसकी रोकथाम से उपाय करना तथा जागरूकता विधियों की आयोजन कर उनका उन्मूलन करना।
3. महिलाओं/बालिकाओं तथा युवकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विलाई,कवाई,बुनाई शिल्पकला, न्यूट्रिशियन कोर्स, हस्तशिल्पकला, ललित कला,संगीत,गायन,बादन कंशन डिजाइनिंग, चिकन प्रिन्टिंग, जरी,ज्वेलरी मेकिंग, मेकअप, बाल पेन्टिंग, मिट्टी के घाँस, पत्रावर मेकिंग, अचार, घुस्सा, फल संरक्षण खादी तथा कलात्मक वस्तुओं के निर्माण आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें स्वावलम्बी बनाना तथा हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देना तथा हस्तशिल्पियों के विकास एवं उन्नयन एवं पुनर्वास की समुचित व्यवस्था करना।
4. अनुकृति,जनजाति,कमजोर वर्ग एवं पिछड़े,अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं/महिलाओं हेतु आधुनिक शिक्षण संस्थानों जैसे -कम्प्यूटर शिक्षा,व्यावसायिक शिक्षा,तकनीकी शिक्षा तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रशिक्षण केंद्रों की निःशुल्क व्यवस्था कर संचालित करना तथा बौद्धिक बालक बालिकाओं के लिए हाईवेयर/सॉफ्टवेयर का निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था कर संचालित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।
5. राज्यस्तरकार,केंद्र सरकार,समाज कल्याण विभाग,राज्य एवं केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, महिला कल्याण निगम,हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय विभाग,नाबार्ड,क्यार्ट सिडपी क्लियर, अल्पसंख्यक विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, खादी सामोद्योग आयोग, सामोद्योग बोर्ड, युवा मंत्रालय विकास विभाग, मध्य विदेश सांस्कृतिक विभाग,प्रौढ़ शिक्षा अधीनस्थारिक शिक्षा एवं बाल विकास कल्याण निदेशालय, बागवानी बोर्ड, युवोपेक विकास विभाग एवं महिला कोष ग्राम विकास विभाग,ग्रामीण मंत्रालय,परिवार कल्याण मंत्रालय, हाउसिंग,कल्याण विभाग,पिछड़ा वर्ग विभाग,दल विभाग व अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा समर्थित विकास कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार कार्य करना।



(Signature)
 अध्यक्ष

1. अध्यक्ष
2. जे.ए. पांडे सिद्ध
3. (Signature)
4. जे.ए. प्रसाद

सत्य जितिति
(Signature)
 अध्यक्ष

6. समाज के नृज, बधिर, नेत्रहीन, बहरे, लंगड़े लोगों के शैक्षिक-वैद्यिक विकास हेतु शिक्षण प्रतिष्ठान संस्थाओं की स्थापना तथा योग्यतानुसार शिक्षण प्रतिष्ठान प्राप्ति कर उन्हें स्वावलम्बी बनाना।
7. सेवाधी छात्रों के लिए मेडिकल/ इंजीनियरिंग कालेज आदि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना शासन की अनुमति के उपरान्त करना व समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सतत प्रयास करना।
8. विधवा निराश्रित, प्रताड़ित, पीड़ित, अनायास, परित्यक्त तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन-चापन करने वाले नागरिकों के बच्चे-बच्चियों को निःशुल्क शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को उपलब्ध कराना।
9. शासन द्वारा संचालित ट्राइसेम योजना, एकीकृत ग्राम्य विकास योजनाएं, गैर-सरकारी महिलाओं तथा बेरोजगारों को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाकर स्वावलम्बी बनाना तथा महिला/पुरुषों के समूहों का गठन करना।
10. सामाजिक सुरक्षितों जैसे-दहेज प्रथा, नष्टपान, महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, अक्षरप्राप्ति निवारण, धूमपान आदि के निवारणार्थ विद्यालय गोष्ठियों/शिविरों के आयोजन से जन हित में प्रचार प्रसार करना तथा किसी जाति धर्म एवं कुल नीति की बाधनाओं को दूर करना एवं पीड़ितों की मदद करना।
11. ग्रामीण स्वाच्छता, बुद्ध पैदावार, ग्रामीण विकास, ग्रामीण अंचलों में जल एवं मृत्ति प्रबंधन कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना तथा ईन्फेडमय नाली स्वच्छता मार्ग, खड़ेजा आदि की समुचित व्यवस्था कराने का प्रयास करना।
12. राष्ट्रीय ग्रामीणोद्योग बोर्ड, 2008 अधिनियम भारतीय खादी तथा ग्रामीणोद्योग आयोग के अंतर्गत जिला उद्योग केंद्र की प्रवृत्ति व पैटर्न के अनुसार ग्रामीणोद्योग प्रवृत्ति उद्योगों के स्थापना व प्रचार प्रसार करना।
13. अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम वर्ग) के बालक बालिकाओं के लिए प्रवृत्ति की व्यवस्था कर संचालित करना तथा हिन्दी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं के हासीन की व्यवस्था करना।
14. प्रादेशीय विद्यालय, अनायासीय विद्यालय, अल्पसंख्यक विद्यालय, मिड के स्कूल, महिला अनायासीय आवास एवं ग्रामीण स्वाच्छता कार्यक्रम की समुचित व्यवस्था कर संचालित करना।
15. बालबादी, आगनबादी, पालनाघर, डीप, शिशु रक्षा केंद्र, बाल आश्रम, अनायासालय, विधवा आश्रम, बुद्धाश्रम एवं बाल संभरण गृह केंद्र की व्यवस्था करना तथा बच्चों के आहार एवं निःशुल्क स्वास्थ्य धिकित्ता की समुचित व्यवस्था करना।
16. स्वतंत्र, मेड धिकित्ता, दन्त धिकित्ता, नेत्रदान, परिवार नियोजन, दुर्घटना पीड़ितों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण आदि कार्यक्रमों की व्यवस्था विभाग के अनुमति के उपरान्त कराना।



अधिकारी

सामाजिक कल्याण विभाग
 लखनऊ

1. इन्दु पाल सिंह
2. U.K. Singh
3. मेहर प्रसाद

सत्य प्रतिनिधि

 जय राम
 सामाजिक कल्याण विभाग
 लखनऊ

- 17- राज्य के माध्यम से बीवाड़ाल जिले/सदर जिले, स्वास्थ्य हेतु समय-2 पर नि:शुल्क चिकित्सा स्थिति, निवासित, पिछड़े वर्ग एवं कमजोर वर्ग के लोगों को चिकित्सा उपचार करना।
- 18- जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य कल्याण, टीकाकरण, कुष्ठ प्रभृति, आदि कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।
- 19- आरोग्योपस्थापना प्रजनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।
- 20- ज्ञानकार्य हेतु नि:शुल्क पुस्तकालय, ग्रामनालय की स्थापना करना तथा स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत विकास के लिए प्रेरित करना।
- 21- आकस्मिक आपदा जैसे महाभूत, सूखा, बाढ़, अग्नि, आसपास, ओसा, भूकंप, भूकंप, सडक दुर्घटना एवं साइकल दुर्घटना आदि के समय सम्बन्धित पीड़ितों की हरसंभव सहायता करना।
- 22- वायु, जल व ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण के रोकथाम के लिए प्रचार प्रसार तथा प्रदूषण की रोकथाम के कार्य करना तथा वृक्षारोपण जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।
- 23- युवा शिविरों के लिए खेल प्रतियोगिताओं को कराकर उन्हें जिला स्तर, प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर तक खेल में सम्मिलित करना तथा कुशल शिविरों को प्रोत्साहित करना व खेल को प्रति रुचि पैदा करना।
- 24- अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं के शैक्षिक उत्थान के लिए विद्यालय, कॉलेज, महाविद्यालय तकनीकी शिक्षण संस्थान/महाविद्यालय एवं विश्व विद्यालय/यूनिवर्सिटी की स्थापना करना व उसका संचालन करना। शिक्षा संस्थानों की भांति 29, 30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय खोलना और उनका संचालन करना।
- 25- अल्पसंख्यक वर्ग तथा अन्य सभी वर्गों के विकास हेतु सुपीरिवाइसरी, सीरिवाइसरी, एनआईओ, आईआईओ, एनआईओ, डिग्री की बोर्ड व विश्वविद्यालय से सम्बन्धित व मान्यता प्राप्त करना, डिग्री कॉलेजों तथा मेडिकल कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थानों तथा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय स्थापित करना व संचालन करना।



[Signature]
 प्रमुख
 जयपुर ए. व. व. विभाग की कार्यालय
 जयपुर, राजस्थान

इन्दुपाल सिंह

3 *[Signature]*

4 मोहन प्रसाद

साय सुतिलिपि
[Signature]
 जयपुर ए. व. व. विभाग
 जयपुर, राजस्थान
 300002

संशोधित नियमावली

- 1-संस्था का नाम : ज्ञानदर्पण एजुकेशनल सोसाइटी
- 2-संस्था का पता : ग्राम बनेपरा पोस्टसिरसा जिला-इलाहाबाद
- 3-संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
- 4-संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग-

कोई भी महिला / पुरुष जो इस संस्था के नियमों का पालन करने को तैयार हो व संस्था को उद्देश्यों में आस्था रखते हो इस संस्था का सदस्य हो सकेगा, जिसमें प्रबन्धक / सचिव की संस्तुति अनिवार्य होगी।

संस्थापक सदस्य-

संस्था की स्थापना श्री आनन्द प्रताप सिंह द्वारा की गई है जो संस्थापक सदस्य कहलावेंगे, आजीवन सदस्य होंगे। इनके स्वच्छा से हटने या मृत्यु होने पर इनके वारिस / उत्तराधिकारी स्वतः संस्थापक सदस्य हो जायेंगे।

आजीवन सदस्य-

जो व्यक्ति निःस्वार्थ भाव से एक बार में 11000/- रुपये भुगत या उससे अधिक व उतने ही मूल्य की छल अथवा सम्पत्ति प्रदान करता हो वह संस्था का आजीवन सदस्य होगा।

विशिष्ट सदस्य-

सरकार द्वारा सम्मानित उपाधि प्राप्त विद्वानों एवं समाज में प्रतिष्ठित लोगों को ही इस संस्था का विशिष्ट सदस्य बनाया जायेगा।

सामान्य सदस्य-

जो व्यक्ति संस्था को विकास हेतु 1100/- रुपये वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करता हो वह संस्था का सामान्य सदस्य होगा।





सदस्यता की समाप्ति-

- 1-मृत्यु हो जाने पर।
- 2-पंगल या दिवंगतिया हो जाने पर।
- 3-सप्ताह 03 बैठकों में बिना किसी स्पष्ट कारण के अनुपस्थित होने पर।
- 4-निर्दिष्ट रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।
- 5-किसी नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
- 6-संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
- 7-अविश्वास प्रस्ताव या त्यागपत्र देने पर।
- 8-संस्थापकों की मृत्यु होने या स्वच्छा से हटना ही लागू होगा अन्य कारण संस्थापकों पर लागू न होगा।

संस्था के अंग -

- 1-साधारण सभा
- 2-प्रबन्धकारिणी समिति



1- 
 प्रबन्धक
 प्रबन्धक एजुकेशनल सोसाइटी
 2- 
 श्याम प्रसाद सिंह
 3- 
 M.K. Singh
 4- 
 मोहन प्रसाद

सचिव

 सचिव
 ज्ञानदर्पण एजुकेशनल सोसाइटी
 ग्राम बनेपरा पोस्टसिरसा जिला-इलाहाबाद

1- साधारण सभा-

गठन- संस्था के संस्थापक/आजीवन तथा सामान्य सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठके- संस्था की सामान्य बैठक साल में एक बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि-

संस्था की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व लिखित रूप में दी जायेगी।

गणपूर्ति- साधारण सभा के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि-

साधारण सभा की सामान्य बैठक का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य-

- 1-संस्था का प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
- 2-संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
- 3-संस्था की वार्षिक रिपोर्टें पास करना।
- 4-नियमों में संशोधन परिवर्तन व परिवर्धन करना।

2- प्रबन्धकारिणी समिति -

गठन- साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष-1, उपाध्यक्ष-1, सचिव/प्रबन्धक-1, कोषाध्यक्ष-1, तथा सदस्य-03 होगा इस प्रकार कुल संख्या-07 होगी तथा सदस्यों की संख्या घटाई बढाई जा सकती है।

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 03 दिन पूर्व लिखित रूप में दी जायेगी।

गणपूर्ति- प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

रिक्त स्थान की पूर्ति-

प्रबन्धकारिणी समिति के अनारगंत यदि कोई स्थान रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय कार्यकाल के लिए की जायेगी।



- 1
- 2 सुन्दर प्रसाद सिंह
- 3 U.K. Singh
- 4 भोहरा प्रसाद

सचिव
पुनिलिपि
 अध्यक्ष
 अध्यक्ष
 अध्यक्ष
 अध्यक्ष

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य-

- 1- संस्था की चम्पति हेतु आवश्यक कार्य करना।
- 2- संस्था का वार्षिक बजट तथा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
- 3- दान, अनुदान, चन्दा प्राप्त करना तथा संस्था के विकास में लगाना।
- 4- उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, कर्पाट, अयाई-नाबाई, सिडपी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, जिला उद्योग केन्द्र, कृषि विभाग, स्थानीय निकायों, समाजसेवी संस्थाओं, दानवील व्यक्तियों एवं अन्य स्रोतों से दान एवं अनुदान प्राप्त करना। सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसियों, स्थानीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संगठन/संस्थाओं कारपोरेट संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करना तथा वित्तीय कर्ज, लोन एवं अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करना अथवा प्रदान करना। संस्था भविष्य में ट्रस्ट में समाविष्टित की जा सकेगी।

कार्यकाल- प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 05 वर्ष का होगा, अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष का चुनाव होगा जबकि प्रबन्धक/सचिव का कोई चुनाव न होगा वह आजीवन संस्था में रहेगा तथा उसके उपरान्त उसके वरिष्ठ/उत्तराधिकारी को वह अधिकार प्राप्त होगा। प्रबन्ध समिति प्रबन्धक/सचिव को वेतन भुगतान भी सुनिश्चित कर सकती है।

ब. प्रबन्धकारिणी समिति के परामर्शकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य -

अध्यक्ष-

1. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. समान मत होने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठकों के लिए दिनांक का अनुमोदन, परिवर्तन तथा बैठकों को स्थगित करना।
4. बैठक में हानि व्यवस्था कायम रखना।

उपाध्यक्ष-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करना और उसके कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

सचिव/प्रबन्धक-

- 1- संस्था के मुख्य प्रशासनिक अधिकारों के रूप में करना।
- 2- प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
- 3- वार्षिक बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
- 4- समस्त बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित रूप में देना।
- 5- बैठकों की कार्यवाही लिपिबद्ध करना।
- 6- संस्था के समस्त पत्र व्यवहार करना।
- 7- राजकीय सहायता तथा अन्य अनुदान, चन्दा प्राप्त करना।
- 8- समस्त बिल, बाकायद, अणपत्र, मांगपत्र, बैंक अनुबन्ध पत्रों तथा अन्य आवश्यक प्रपत्रों में हस्ताक्षर करना।



Handwritten signatures and names:
 1. [Signature]
 2. प्रवेश प्रसाद
 3. [Signature]

Official stamp and signature:
 1. [Official Stamp]
 2. [Signature]
 3. [Text]

- 9- संस्था को बल अथवा सम्पत्ति की सुरक्षा तथा उस पर नियंत्रण रखना।
- 10- संस्था में तकनीकी, गैर तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षक एवं कर्मचारियों की नियुक्ति निलम्बन तथा पदोन्नति, वेतन वितरण, वेतन वृद्धि, वेतन निर्धारण, पदच्युत व सेवा समाप्ति का आदेश करना।
- 11- संस्था की ओर से समस्त अदालती कार्यवाही का संचालन करना।
- 12- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार रु० 50,000 / रुपये खर्च कर सकता है, रु० 1,00,000 / तक अथवा नही एवं की स्वीकृति लेकर व्यय करना तथा इससे अधिक व्यय के लिए प्रबन्ध समिति की स्वीकृति लेकर व्यय किया जायेगा।
- 13- संस्था के अभिलेखों को अपने अभिपक्षान सुरक्षित रखना।
- 14- सदस्यों का नाम रजिस्टर में लिखना।
- 15- संस्था के हित में अन्य वे सभी कार्य करना जो आवश्यक हों।
- 16- संस्था के विकास के लिए सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं स्थानीय निगम, संस्थान, कार्यालयों एवं संस्थाओं से स्थापित उनके कार्य करना।

सोसायटी-

- 1- आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना।
- 2- दान, अनुदान, चन्दा प्राप्त करना तथा संस्था के विकास में लगाना।
- 3- अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
- 4- संस्था हित में पूर्ण सहयोग करना।



संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया-

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्तन साधारणतया की बैठक में 3/5 के बहुमत से सोसाइटी रजि० अधिनियम की धारा-12 एवं 4(क) के अनुसार किया जायेगा।

11- संस्था का खाते-

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीय कृत बैंक स्थानीय बैंक, रोडवूल्ड बैंक या प्रो०आ० में संस्था के नाम खोला जायेगा तथा खाते का संचालन सचिव / प्रबन्धक के हस्ताक्षर से किया जायेगा।

12- संस्था के आय व्यय का लेखा जोखा परीक्षण-

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य आडिटर द्वारा करा जायेगा।

[Signature]
 प्रबन्धक

- 1. *[Signature]*
- 2. इन्द्र पाल सिंह
- 3. *[Signature]*
- 4. मेहरा प्रसाद

साथ प्रतिलिपि
[Signature]
 प्रबन्धक
 सामाजिक विद्यापीठ
 200 मन्सूरी रोड तथा सिडम
 कुर्था, जिला लखनऊ

13-संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अपराधी कार्रवाही के संचालन का अल्टरस्टाटियम

संस्था के द्वारा अथवा संस्था के विरुद्ध सभी प्रकार के वाद विवाद जिन्हे हस्तोद्वे के स्थान न्यायालय में दाखल किन्ते जा सकेंगे तथा समस्त प्रकार के अपराधी कार्रवाही के संचालन का दायित्व संस्था के प्रबन्धक/सचिव अथवा उनके द्वारा किसी नामित सदस्य द्वारा किया जा सकेगा।

14-संस्था के अभिलेख-





- 1-कार्यवाही रजिस्टर
- 2-सदस्यता रजिस्टर
- 3-स्टाफ रजिस्टर
- 4-बीशबुक लेजर आदि।

15- संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक-

- सत्य प्रतिलिपि -

इस्तासुर-

- 1.  प्रबन्धक
समाजिक सङ्गठन/समाज सेवामण्डल
- 2.  अनाद सचिव
- 3.  इन्दु पाल सिंह
- 4.  अनांद प्रसाद



सत्य प्रतिलिपि

 प्रबन्धक

समाजिक सङ्गठन/समाज सेवामण्डल
समाज सेवा समिति (स.स.स.)

 प्रबन्धक